

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

संत रविदास नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, मीरजापुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, शाहजहाँपुर, बांदा, प्रतापगढ़, चन्दौली, इटावा, बस्ती, बागपत, जौनपुर, फैजाबाद, गोण्डा, कन्नौज, बाराबंकी, संत कबीरनगर, झांसी, जालौन, गोरखपुर, हाथरस, एटा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मऊ, उन्नाव, रामपुर, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, लखनऊ, देवरिया, मैनपुरी, महाराजगंज, आगरा, औरैया, पीलीभीत, अमेठी, महोबा, रायबरेली, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, फतेहपुर अम्बेडकरनगर एवं बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक :: 12 अप्रैल, 2016

विषय:- वर्ष 2015 में कम वर्षा के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति से रबी की फसलों को हुई क्षति की सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में सामान्य से कम वर्षा हुई थी। सामान्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत से कम वर्षा तथा 33 प्रतिशत से अधिक क्षति के कारण जनपद बलरामपुर को सम्मिलित करते हुये शासनादेश दिनांक 19.11.2015 द्वारा 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। सूखाग्रस्त 50 जनपदों में से 21 जनपदों द्वारा खरीफ फसल की 33 प्रतिशत या उससे अधिक कृषि क्षति का विवरण प्रेषित किया गया था जिसके आधार पर सूखा मेमोरेण्डम-2015 तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया था।

2- यह उल्लेख करना है कि सामान्य के कम वर्षा के कारण रबी फसलों को भी क्षति होने की सम्भावना है। उक्त के दृष्टिगत अपर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-38-10/2016-डीएम, दिनांक 06.04.2016 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर रबी की फसलों को हुई क्षति का विस्तृत आंकलन कराया जाय। सूखे के कारण रबी फसलों को हुई क्षति की सूचना एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 के मानक के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर 03 कार्य दिवस में राहत आयुक्त कार्यालय के फैक्स सं0-0522-2238084, 2236305 एवं ईमेल-rahata@nic.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव